सं. ए-12025/14/2005-प्रशासन-1
भारत सरकार
योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 13 ekPA 2006.

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी foHAkx / राज्य सरकारk d lHAh foHAkx / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों / विश्वविद्यालय

वि-ाय :- योजना आयोग e पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पावधिक अनुबंध शामिल है) dh i¼fr d द्वारा lykgdkj d lkr ink dk HAjk tkuk A

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग में पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पावधिक अनुबंध शामिल है) के द्वारा **सलाहकार (शिक्षा), सलाहकार (मूल्यांकन), सलाहकार (श्रम, नियोजन और जन शक्ति), सलाहकार (ग्रामीण विकास), सलाहकार (पर्यावरण और वन)] सलाहकार (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) rFAk lykgdkj (lpuk vkj lpkj प्रौद्योगिकी)** (प्रत्येक एक पद) d HAj tku का प्रस्ताव है । bu ink ij fu;fDr ;ktuk vk;kx द्वारा fcuk l?A ykd lok vk;kx d ijkeÀA d dh tk,xh A ikIr g, lHAh vkonuk dh tkp dju d mijkUr ,l lHAh mEehnokj tk ik=Ark dh lHAh ÀAr ijh djr gk] dk p;u lfefr d le{A lk{AkRdkj gr fuef=Ar fd;k tk,xk A ckn e p;u lfefr द्वारा p;fur mEehnokj dh fu;fDr d ckj e e=AheMy dh fu;fDr lfefr dk vueknu HAh vfuok; gkxk A

2. केन्द्र / राज्य सरकार के विभागों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं / सार्वजनिक उपक्रमों / अर्ध सरकारी / सांविधिक एवं स्वायत्त संगठनों rFAk xj ljdkjh lLFAkvk में कार्यरत अधिकारी तथा विभागीय lykgdkj rFAk संयुक्त सलाहकार, जो अनुबंध में nh xb ik=Ark dh lHAh शर्तें पूरी करते हैं rFAk ble l fdlh HAh in ij vkonu dju d bPNd gk] }kjk vkonu vkef=Ar fd, tkr g A bu lHAh vkonuk ij एक साथ विचार किया जाएगा । यदि कोई विभागीय सलाहकार/ संयुक्त सलाहकार नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो उनकी नियुक्ति प्रोन्नति पर मानी जाएगी । अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में doy प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पावधिक अनुबंध शामिल है) ij विचार किया जाएगा ।

3. पद से संबंधित वेतनमान, पात्रता की शर्तें, अर्हताएं एवं अनुभव तथा पद से संबद्ध कार्यों का विवरण अनुलग्नक में दर्शाए गए हैं ।

4. केन्द्र / राज्य सरकारों के मंत्रालयों / विभागों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध है कि bu fjfDr;k को अपने अधीन कार्यरत समुचित स्तर के सरकारी उपक्रमों / अर्ध सरकारी / सांविधिक एवं स्वायत्त संगठनों तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों सहित, सभी अधिकारियों के लिए व्यापक प्रचार करें ।

5. ऐसे पात्र उम्मीदवारों, जिन्हें चयन की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र (पाठ्यक्रम ब्यौरे) संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों) में उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी को भेजें । आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी अग्रेनित करना अपेक्षित है ;-

(i) संवर्ग अनुमति / सुस्प-ट अनापत्ति ;
(ii) संबंधित उम्मीदवार की पिछले पांच व-ों की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों;
(iii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया सत्यनि-ठा प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप**) में ।

-/-

(iv) सतर्कता प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित हे और न ही अपेक्षित है, तथा

(v) विगत 10 व-र्ाो के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े/ छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो / दंड़ नहीं प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**)।

यह ध्यान रखा जाए की उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना आवेदन पत्र पर विचार करना संभव नहीं होगा । यह भी सूचित किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति आधार पर पदों की नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा दस्तावेजों सहित आत्मवृत्त का आकलन किया जाएगा ।

6. केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन पत्र अग्रेनित किए जाएं जिनके विरूद्ध सर्तकता का कोई मामला न हो । bu fjfDr;k को शीघ्र ही रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जा रहा है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 60 दिन तक होगी।

7. आवेदक यह सुनिश्चत करें कि उनका आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हो और सभी प्रकार से पूर्ण हो । प्रपत्र में कोई भी स्थान रिक्त न हो rFkk fLFkfr d vuqlkj "लागू नहीं" अथवा "शून्य" सूचना का स्प-ट उल्लेख होना चाहिए। उपर्युक्त पैरा 5 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों सहित उचित माध्यम द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अथवा उससे पहले प्राप्त हुए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने पर अथवा अधूरे अथवा अग्रिम रूप में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. इन रिक्तियों के ब्यौरे लिंक सर्कूलर्स के अंतर्गत योजना आयोग के वेबसाइट http://www.planningcommission.nic.in पर भी उपलब्ध हैं ।

भवदीय,

(के.के. छाबड़ा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभा-ा : 23096531

सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेनित :

1. उपाध्यक्ष, योजना आयोग के निजी सचिव
2. सभी सदस्य, योजना आयोग के निजी सचिव
3. सदस्य-सचिव, योजना आयोग के निजी सचिव
4. सभी प्रधान सलाहकार, योजना आयोग
5. सभी सलाहकार, योजना आयोग
6. संयुक्त सचिव (प्रशासन), योजना आयोग
7. सभी संयुक्त सलाहकार, योजना आयोग
8. सूचना पट्ट

(के.के. छाबड़ा)
अवर सचिव, भारत सरकार

योजना आयोग में **सलाहकार (शिक्षा), सलाहकार (मूल्यांकन), सलाहकार (श्रम, नियोजन और जन शक्ति), सलाहकार (ग्रामीण विकास), सलाहकार (पर्यावरण और वन)] सलाहकार (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) rFkk lykgdkj (lpuk vkj lpkj प्रौद्योगिकी)** (प्रत्येक एक पद) को पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक अनुबंध सहित) द्वारा भरने के लिए पात्रता की शर्तों का ब्यौरा : -

1. वेतनमान : 18400-500-22400 रू.
आथवा
22400-525-24500 रू.

(नियुक्ति के लिए चयन किए गए अधिकारी की अर्हताएं तथा अनुभव के आधार पर चयन के समय सही वेतनमान का निश्चय किया जाएगा)

2. पद से संबद्ध कार्य :

सलाहकार (शिक्षा)

(i) पंच व-र्गीय एवं वा-र्षिक योजनाएं तैयार करने में शिक्षा से संबंधित प्रस्तावों पर योजना आयोग को सलाह देना ।

(ii) शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं में निवेश / आबंटन के वि-षय के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों एवं मंत्रालयों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करना जिसमें परियोजनाओं का अंकन, मानीटरण और मूल्यांकन शामिल हैं।

(iii) शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित सभी समस्याओं में राज्यों व मंत्रालयों से समन्वय बनाए रखना।

सलाहकार (मूल्यांकन)

(i) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के प्रधान कार्यकारी आधिकारी के रूप में कार्य करना ।

(ii) (क) मूल्यांकन जाँचों, अन्वेशनों तथा अध्ययनों का योजना बनाना और समन्वयन करने ;
(ख) क्षेत्र अधिकाfj;k द्वारा दी गई सूचना का प्रसंस्करण, विश्ले-षण तथा अधिनिरूपण करने ; और
(ग) प्रतिवेदनों को बनाने में
निदेशन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा समन्वयन करना ।

(iii) राज्य मूल्यांकन तंत्र को सशक्त बनाने, मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में तथा मूल्यांकन कार्यप्रणाली में तकनीकी सलाह देने में सहायता करना ।

(iv) एलैक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर केन्द्र के कार्यो का योजना बनाना, निदेशन करना तथा नियंत्रण करना ।

सलाहकार (श्रम, नियोजन और जन शक्ति)

पदधारी, योजना आयोग के नियोजन, श्रम नीति और जन शक्ति एककों के xi समन्वय vf/kdkjh के रूप में कार्य करते हैं । वे आयोग को संबंधित क्षेत्रों के मामलों में सलाह देते हैं तथा अपने अधीनस्थ एककों के अनुसंधान अध्ययनों में मार्गदर्शन करते हैं ।

सलाहकार (ग्रामीण विकास)

(i) **ग्रामीण** विकास क्षेत्र के ग्रामीण उद्योग, **ग्रामीण** सड़क, जल vkifr एवं मलनिकासी जैसे और समैकिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, tokgj रोजगार योजना आदि जैसै विभिन्न विशे-ष ग्रामीण विकास कार्यक्रमों dh uhfr;k तैयार करना ।

(ii) ग्रामीण विकास क्षेत्र के पंचव-र्षीय ;kstukvk और वा-र्षिक योजना प्रस्तावों के मामले में योजना आयोग को सलाह देना ।

(iii) परियोजनाओं का अंकन, मानीटरण तथा मूल्यांकन सहित ग्रामीण विकास क्षेत्र के विभिन्न परियोजनाओं के लिए आबंटन हेतु राज्य सरकारों और मंत्रालयों से प्राप्त प्रस्तावों का परिक्षण करना ।

(iv) इस क्षेत्र से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों और मंत्रालयों से समन्वय करना ।

(v) ग्रामीण विकास क्षेत्र में अनुसंधान करना, अनुसंधान का मार्गदर्शन करना तथा निरीक्षण करना ।

(vi) संसदीय कार्य, अन्तर्मंत्रालय बैठकों में fgLlk लेना, योजना आयोग के rjफ से ग्रामीण विकास क्षेत्र से संबंधित xkf';k , चर्चाओं में भागलेने जैसे सहित ग्रामीण विकास विभाग के lHkh कार्य करना ।

<u>सलाहकार (पर्यावरण और वन)</u>

(i) योजना आयोग के संबद्ध विभाग के संबंधित मामलों में पर्यावरण एवं वन के क्षेत्र में रा-ट्रीय नीति बनाना ।

(ii) पर्यावरण एवं वन के क्षेत्र में केन्द्रीय तथा राज्यीय lDVjk के स्कीमों के अन्तर्गत संसाधनों के आबंटनों से संबंधित मामलों का परीक्षण करना ।

(iii) योजना परियोजनाओं के लिए मानीटरण और मूल्यांकन प्रणाली की व्यवस्था करना और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों में हस्तक्षेप और अन्योन्यक्रिया के लिए यथा प्रयोज्य व्यवस्था करना ।

<u>सलाहकार (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)</u>

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबधित मामलों में नीतियों और कार्यक्रमों में योजना आयोग को सलाह देना ।

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों / अभीकरणों के वार्-िक योजनाओं तथा पंच व-र्ीय योजनाओं को बनाने / निर्धारित करने में योजना आयोग को सलाह देना ।

(iii) केन्द्रीय / राज्य सरकारों के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों / अभीकरणों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रस्तावों का निवेश के लिए निर्णय लेने के लिए परीक्षण तथा मूल्यांकन करना ।

(iv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सभी मामलों में केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों और राज्यों में समन्वय करना ।

(v) योजना आयोग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग का निरीक्षण करना ।

<u>lykgdkj (lpuk vkj lpkj प्रौद्योगिकी)</u>

xkeh.A DuDfVfoVh] b&xouUl] LokLF; vkj fÀA{Ak d {A=A e lpuk vkj lpkj प्रौद्योगिकी dk i;kx] lpuk lj{Ak ,o ck;k&bui{kjefVDl] edk&bui{kjefVDl] vrfj{A dk;dek] ijek.A mQtk] bR;kfn tl tfVy {A=Ak e lij dl;fVx dk i;kx oky ekeyk e ;ktuk vk;kx dk lykg nuk A

<u>3. सेवाशर्तों से संबंधित अर्हताएं निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि :</u>

प्रत्येक पद के लिए निर्णायक तिथि fuEuor होगी :-

सलाहकार (शिक्षा), सलाहकार (पर्यावरण और वन)] सलाहकार (ग्रामीण विकास)] सलाहकार (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) ,o lykgdkj (lpuk vkj lpkj प्रौद्योगिकी) के पदों के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी ।

सलाहकार (मूल्यांकन) पद के लिए निर्णायक तिथि दिनांक 01-08-2006 होगी ।

सलाहकार (श्रम, नियोजन और जन शक्ति) पद के लिए निर्णायक तिथि दिनांक 01-07-2006 होगी ।

-/-

4. सेवाशर्तों से संबंधित अर्हताएं :

1. पदोन्नति :

(क) 18400-500-22400 रू. के लिए :

14300-400-18300 रू. के वेतनमान वाले ऐसे विभागीय संयुक्त सलाहकार जिन्होने उक्त xM में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच व-र्ा की सेवा की gk और मद संख्या 5 में दिए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

(ख) 22400-525-24500 रू. के लिए :

18400-500-22400 रू. वेतनमान वाले ऐसे विभागीय सलाहकार जिन्होने उक्त xM में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच व-र्ा की सेवा की gk और मद संख्या 5 में दिए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

2. प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)

(क) 18400-500-22400 रू के लिए :

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों (उनके संबद्व अधीनस्थ dk;kZy;k सहित) या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक उपक्रमों या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों और अन्य गैर सरकारी निकायों के ऐसे अधिकारी जो -

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या
(ii)16400-450-20000 रू. के वेतनमान वाले पदों पर या समतुल्य पर तीन व-र्ा नियमित सेवा की हों, या
(iii)14300-400-183000 रू. के वेतनमान वाले पदों पर पांच व-र्ा नियमित सेवा की हों, और

(ख) मद संख्या 5 में दिए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

(जहां कर्मचारी औद्योगिक भत्ते से शासित होते हैं वहां उनकी समतुल्यता का अवधारण केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा । उन मामलों में जहां केन्द्रीय या औद्योगिक महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है वहां अधिकारी या तो शी-र्ा स्तरीय प्रबंधकीय स्थिति धारण करता हो या ऐसे स्तर पर निरन्तर पांच व-र्ा सेवा की हो जो कर्तव्यों और दायित्वों के अनुसार केन्द्रीय सरकार में निदेशक के स्तर के तुल्य हो)।

2. ऐसे आचार्य, जिन्होंने 16400-22400 रू. के वेतनमान में तीन व-र्ा नियमित सेवा की है और जिनके पास मद संख्या 5 में दिये गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।

-/-

(क) 22400-525-24500 रू के लिए :

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों (उनके संबद्ध अधीनस्थ कार्यलयों सहित) या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक उपक्रमों या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों और अन्य गैर सरकारी निकायों के ऐसे अधिकारी जो -

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या
(ii) 18400-500-22400 रू. के वेतनमान वाले पदों या समतुल्य पर पांच व-र्ा नियमित सेवा की हों, और

(ख) मद संख्या 5 में दिए गए सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

(जहां कर्मचारी औद्योगिक भत्ते से शासित होते हैं वहां उनकी समतुल्यता का अवधारण केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा । उन मामलों में जहां केन्द्रीय या औद्योगिक महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है वहां अधिकारी या तो शी-र्ा स्तरीय प्रबंधकीय स्थिति धारण करता हो या ऐसे स्तर पर निरन्तर पांच व-र्ा सेवा की हो जो कर्तव्यों और दायित्वों के अनुसार केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सलाहकार के स्तर के तुल्य हो)।

5. पद के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव (पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) के दोनों पद्धतियों के लिए प्रयोज्य) :

सलाहकार (शिक्षा)

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्रा्प्त विश्वविद्यालय से किसी वि-ाय में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में डिग्री ।

(ii) अनुसंधान / विकास / योजना / प्रशासन / प्रबन्ध / शिक्षण आदि में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 व-र्ा का अनुभव और (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 व-र्ा का अनुभव) जिसमें से कम से कम 5 व-र्ा का अनुभव शिक्षा नीति, योजना या प्रबन्ध से संबंधित होना चाहिए ।

वांछनीय :

(i) इंजीनिरी मे मास्टर डिग्री या डाक्टरेट डिग्री ।

(ii) शासन / नीति निर्माण / अनुसंधान प्रकाशनों से संबंधित शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा / योजना / वित्त से संबंधित उच्च स्तर पर कार्य करने का अनुभव ।

(iii) शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना रिपोर्टों / योजना दस्तावेजों में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में अनुभव ।

सलाहकार (मूल्यांकन)

आवश्यक :

(i) किसी मान्यता ikIr विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या / सांख्यिकी / कारबार प्रशासन / संक्रिया अनुसंधान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 व-र्ा का अनुभव और (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 व-र्ा का अनुभव) जिसमें से कम से कम 5 व-र्ा का अनुभव आर्थिक अनुसंधान के संचालन / अनुसंधान के मार्गदर्शन / परियोजना मूल्यांकन के अंकन और विश्ले-ाण में होना चाहिए ।

वांछनीय :

(i) सुसंगत विनिर्दि-ट वि-ाय में डाक्टरेट डिग्री ।

(ii) आधुनिक अनुसंधान पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, नमूना तकनीकी, आर्थिक माड्यूलों का उपयोग, लागत-फायदा विश्ले-ाण के अनुप्रयोजन आदि का ज्ञान / अनुभव ।

(iii) प्रकाशनों द्वारा यथा साक्ष्यित सुसंगत क्षेत्रों में अनुभव ।

सलाहकार (श्रम, नियोजन और जन शक्ति)

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र / सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) श्रम / नियोजन / जनशक्ति क्षेत्र में अनुसंधान / विकास / योजना / परियोजनाओं के मूल्यांकन / कार्यक्रमों के मूल्यांकन में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 व-र्ा का अनुभव और (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 व-र्ा का अनुभव) पदधारी को श्रम विधियों / समस्याओं से अवगत होना चाहिए, उसे जनसंख्या, सांख्यिकी और नियोजन समस्या पर उसके प्रभाव की जानकारी होना चाहिए और समस्या पर उनका lek/ku और ;fDr रोजगार वृद्धि स्कीमों पर सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त योजना शैली और नीति विकसित करने की योग्यता होनी चाहिए ।

वांछनीय :

(i) अर्थशास्त्र / सांख्यिकी में डाक्टरेट डिग्री ।

(ii) उस क्षेत्र में प्रकाशित अनुसंधान कार्य ।

सलाहकार (ग्रामीण विकास)

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमानतः सामाजिक विज्ञान में मास्टर डिग्री।

(ii) गरीबी उन्मूलन / लोक सहकारिकता / पंचायती राज संस्थाओं / ग्रामीण अवसंरचना / ग्रामीण आवास / भूमि सूधारों आदि से संबंधित विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं / कार्यक्रमों के अनुसंधान / अंकन / योजना / नि-पादन में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 व-र्ा का अनुभव और (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 व-र्ा का अनुभव)।

वांछनीय :

(i) lcf/r विनिर्दि-ट वि-ाय में डाक्टरेट डिग्री ।

(ii) जिला / प्रभाग / परियोजना स्तर पर क्षेत्र अनुभव ।

(iii) उस क्षेत्र e प्रकाशित कार्य का अनुभव ।

(iv) ग्रामीण विकास में अद्यतन सरकारी परियोजनाओं / कार्यक्रमों / स्कीमों का ज्ञान ।

सलाहकार (पर्यावरण और वन)

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान / पर्यावरणh; विज्ञान / जैव विज्ञान / कार्बनिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में डिग्री या वानिकी / पर्यावरण / वन्य प्राणी प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य ।

(ii) वन / वन्य प्राणी प्रबन्ध / जैव विविघता और पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में ;kstuk प्रक्रिया, योजना कार्यक्रमों / नीतियों का निर्माण / नि-पादन में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 व-र्ा का अनुभव और (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 व-र्ा का अनुभव)।

-/-

वांछनीय :

(i) सुसंगत विनिर्दि-ट वि-ाय में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री ।

(ii) सरकार में योजना / नीति और बजट बनाने के संबंध में अनुभव ।

(iii) सुसंगत सेक्टर में अद्यतन प्रवृत्तियों और उद्घटनों का ज्ञान ।

(iv) सुसंगत वि-ायों के संबंध में अनुसंधान या प्रकाशित कार्य का साक्ष्य ।

सलाहकार (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राक्प्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी @ प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य ।

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, योजना और बजट मूल्यांकन / मानिटरी / विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों / स्कीमों / परियोजनाओं के मूल्यांकन में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 व-र् का अनुभव और (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 व-र् का अनुभव)।

(iii) रा-ट्रीय और अंतर्रा-ट्रीय दोनों स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अद्यतन प्रवृत्तियों और गतिविधियों का ज्ञान ।

वांछनीय :

(i) सुसंगत विनिर्दि-ट वि-ाय में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री ।

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहु विधा शाखाओं या सीमान्त क्षेत्रों में अनुसंधान करने / योजना बनाने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाओं / कार्यक्रमों rFAk उनके अंकन या मूल्यांकन करने के क्षेत्र में अनुभव ।

सलाहकार (lpuk vkj lpkj प्रौद्योगिकी)

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राक्प्त विश्वविद्यालय से विज्ञान d fdlh HAh ÀAk[Ak @ vFAÀAkL=A @ 0;olk; iÀAklu में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य ।

(ii) b&xouUl] njlpkj bMLVh] ckMdkLV ehfM;k] byDVkfuDl bMLVh (gkMo;j vkj lkiQVo;j)] lpuk vkj lpkj dk lkekftd i;kx] bR;kfn e l fdlh ,d ;k mll vf/d {A=Ak e uhfr cuku] fd;kUo;u] ekuhVfjx vkj foRr ic/ e समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के लिए 15 व-र् का अनुभव (और 22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 व-र् का अनुभव) ftle l de l de l ikp व-र् rd fdlh ljdkjh vFAok vU; lkotfud lLFAk e vkj @ vFAok lkotfud @ikboV vkद्योगिd bdkb ,o vkद्योगिd ikRlkgu ,tlh e mPp uhfrxr lykg nu dk vuHAo A

(iii) lpuk vkj lpkj प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में uohure प्रवृत्तियों और प्रौद्योगिकी l lifjfpr ।

वांछनीय :

mi;Dr fdlh HAh वि-ाय में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री ।

6. आयु सीमा (आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि को) :

प्रतिनियुक्ति (अल्पावथि अनुबंध सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए आयुसीमा आवेदन प्राप्ति की तिथि को 56 व-र् से अधिक नहीं होगी।

-/-

7. प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :

प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में अथवा किसी संवर्ग बाह्य पद पर इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतया पाँच वर्-र्ा से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की शर्तें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.2/29/91-स्था.(पी.2) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे तथा अनुबंध पर आने वालों के मामलों में, शर्तें संबद्ध प्राधिकरण के परामर्श से तय की जाएंगी ।

***

(अभ्यार्थियों के आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्रों के प्रपत्र)

सत्यनि ठा प्रमाण पत्र

योजना आयोग में सलाहकार (_______________) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके, डा/श्री/श्रीमती/सुश्री ____ के वार्निक गोपनीय रिपोर्टों की संवीक्षा करने के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनि-ठा संतो-ाजनक है ।

(उप सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारी
के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए)
नाम और कार्यालय की मोहर :
दिनांक :

सतर्कता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग में सलाहकार (_______________) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके, डा/श्री/श्रीमती/ सुश्री _____________________________ के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है ।

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम और कार्यालय की मोहर :
दिनांक :

दंड नहीं प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग में सलाहकार (_______________) रके पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके डा/ श्री/ श्रीमती/ सुश्री _____________________________ पर पिछले 10 व-र्ाों के दौरान कोई दंड नहीं लगाया गया ।

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम और कार्यालय की मोहर :
दिनांक :

******